निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 32/2013(रे0वाद)
दायर दिनांक – 05/03/2013
निर्णय दिनांक – 28/01/2026

अनवान

1. नन्दा पिता चुन्नीलाल जाति खटीक निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी को दिनांक 19/06/1992 को ग्राम अर्जुनगढ ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०) की बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 1 में 2 बिघा (दो बिघा) भूमि राजस्थान राज्य द्वारा सरकारी गठित आवंटन कमेटी (समस्या समाधान शिवीर) में जिसके अध्यक्ष श्रीमान् उप जिलाधिश महोदय भीम राज० होकर गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई है और जिसका कब्जा चादी को राज्य सरकार द्वारा मोके पर सुपुर्द कर दिया गया और तब से लगायत अब तक इस वाद की उक्त भूमि पर कब्जा वादी का निरन्तर व निर्विधन रूप से बराबर चला आया है और वादी ने इस भूमि को जो बेरान थी को करीब 1,00,000/– रुपये एक लाख रुपये खर्च कर आबाद की है। जिससे यह जमीन वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के बजाय खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा का यह वाद प्रस्तुत है। वादी को जो इस वाद नत्र की कंलम संख्या 1 में वर्णित जमीन राज्य सरकार (राज०) से नियमानुसार गठित कमेटी में आवंटन हुई है और इसका मुकदमा नम्बर 59/92 माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय भीम जिला राजसमन्द (राज०) के यंहा दायर हुआ है। नियमानुसार वादी को जो इस वाद की कलम संख्या 1 की जमीन राजस्थान राज्य

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

से आवंटन हुई है जो वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी द्वारा एंव उप जिलाधीश महोदय भीम द्वारा खाते दर्ज करा देनी चाहिये थी लेकिन किसी तरह ईस वाद से संबंधित जमीन वादी के खाते दर्ज नहीं हो पाई है और यह जमीन बिलानाम में ही चल रही है जिससे वादी को जो इस वाद की उक्त वर्णित जमीन राजस्थान राज्य से आवंटन हुई है और वो वादी के कब्जे कारत में चली आई है जिसे वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने के लिए यह वाद प्रस्तुत है। वादी ने इस दावे से पूर्व प्रतिवादी को एंव उप जिलाधीश महोदय भीम को इस वाद की जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है किन्तु वादी के नाम पर जमाबंदी में इस वाद की जमीन खाते दर्ज नही हो पाने से वादी को इस वाद के लिये विवश होना पडा है। वादी ने राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्री जिलाधीश महोदय राजसमन्द को धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का नोटिस इस वाद की जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने की व्यवस्था के लिये दिनांक 26/07/2012 को रजिस्टर्ड एध्डी. दिया जो उन्हें दिनांक 29/07/2012 को मिल गया और इस नोटिस की मियाद दिनांक 28/09/2012 को समाप्त हो गई। फिर भी जिलाधीश महोदय राजसमन्द (राज०) ने यह जमीन वादी के नाम पर सरकारी रेकर्ड जमाबंदी में खाते दर्ज कराने की व्यवस्था नहीं की है जिससे भी वादी को इस वाद के लिये अन्तिम तोर पर विवश होना पडा है। इस वाद का अन्तिम कारण इस वाद की कलम संख्या 5 में वर्णित धारा 80 जा.दी. के रजिस्टर्ड नोटिस एध्डी दो माह की मियाद का दिनांक 26/07/2012 को राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि श्री जिलाधीश महोदय राजसमन्द को दिया गया जो उन्हें दिनांक 29/07/2012 को मिल गया व दिनांक 28/09/2012 को उस नोटिस मियादी दो माह की मियाद समाप्त हो गई फिर भी इस वाद की जमीन वादी के नाम पर उन्होने (जिलाधीश महोदय राजसमन्द ने जमाबंदी में खाते दर्ज नही कराई। जिससे दिनांक 28/09/2012 को ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ में पैदा हुआ है। इस वाद की भूमि जो ग्राम अर्जुनगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज०) में स्थित है व वादी वहीं का स्थाई निवासी है और प्रतिवादी भी जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है और उनका कार्यालय देवगढ में ही स्थित है जिससे इस वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय आपको है वादी की निम्न प्रार्थना है इस वाद की कलम संख्या 1 की भूमि खसरा नंम्बर 1 बिलानाम वाकें ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ राजस्थान में जो 2 बिघा जमीन राजस्थान राज्य से वादी को दिनांक 19/06/1992 को नियमानुसार आवंटन होकर वादी को कब्जे में चली आई है उस वादी के कब्जे की जमीन का प्रकरण संख्या 59/12 उपखण्ड अधिकारी महोदय भीम

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जिला राजसमन्द (राज०) में दायर होने की घोषणा कराई जावे। वादी ने जो इस वाद की उक्त वर्णित भूमि जो गैर खातेदारी हक से आवंटन हुई थी जिसे एक लाख रुपया खर्च कर इस बेरान जमीन को आबाद की है जो वादी के कब्जे की चली आई है जो मोके पर वादी के कब्जे की जमीन है उसे वादी के नाम पर जमाबंदी में खातेदार के हक से दर्ज कराई जाने की भी घोषणा कराई जावे । व इसका आदेश प्रतिवादी के नाम पर जारी कराया जावें। वादी की प्रार्थना है कि इस वाद की जमीन किसी तरह वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज नहीं होने की हालत में वादी के नाम पर इस वाद की जमीन गैर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा करा वादी के खाते जमीन दर्ज कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

मामलें में प्रस्तुत दावा एवं जवाब दावें के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया कि ग्राम अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 01 में से 02 बीघा भूमि वादी को आवंटित हुई जिसे वादी गैरखातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है।

   जिम्मे वादी

2. आया वादी वक्त आवंटन से निरन्तर काबिज हो काबिल काश्त है।

   जिम्मे वादी

3. आया उक्त वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित वादी के नाम पर कोई नामान्तरण दर्ज नहीं है।

   जिम्मे प्रतिवादी

4. आया आराजी संख्या 01 पर वादी का कब्जा नहीं है।

   जिम्मे प्रतिवादी

वादी एवं प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे उभय पक्ष के साक्ष्य बंद किये गए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निर्णय करने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियमों का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उक्त नियमों में नियम 15 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

15. Order of Allotment. –

(1) As soon as an order of allotment is passed, the Sub-Divisional Officer shall-

(a) give necessary information to the Patwari then and there if the Patwari is present on the spot; and

(b) direct the Patwari to make over possession of the allotted land to the allottee forthwith;

(c) where the allottee is not actually given possession of the allotted land within one month from the date of the order of allotment he shall apply to the Collector who shall enforce the order unless it is stayed by a competent authority.

(2) An order to allotment shall be in Form V and a copy of the same together with a trace of the land, shall be given to the allottee.

(3) Physical possession of the allotted land shall be delivered to the allottee within fifteen days from the date of allotment and, thereupon, a sanad shall be issued in Form VI to the allottee 15[on payment of a fee of rupees one hundred for irrigated land and rupees fifty for unirrigated land] to be credited to Head "IX-Land Revenue (i) Miscellaneous-'VII-Miscellaneous.

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्षय पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहा जिससे प्रकरण में उनकी साक्ष्य बन्द की गयी।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज आवंटन आदेश के रूप में अभिलिखित कर प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः वह आवेदन पत्र है जिसमें तहसीलदार, विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है और उसी में यह अंकन है कि भूमि आवंटन की गई है लेकिन आवंटन से संबंधित नियम 15 के संदर्भ में स्पष्ट Form V में आवंटन आदेश एवं Form VI में निश्चित शुल्क जमा कर सनद जारी की जाती है। यह दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आवंटन की प्रक्रिया को वैधानिक स्थिति प्रदान करते हैं लेकिन इस प्रकार के दोनों दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है जिसके कारण संभवतः गैर खातेदारी का नामान्तरण नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है तथापि आवंटन आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

नन्दा बनाम सरकार
32/2013 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–28/01/2026

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार **R.A.S.**)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

नन्दा बनाम सरकार
32 / 2013 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–28 / 01 / 2026

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–32 / 2013

अनवान

1. नन्दा पिता चुन्नीलाल जाति खटीक निवासी अर्जुनगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **वादी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द। **–प्रतिवादी**

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

दावा वादी डिक्री किया जाता है अतः वादी का वाद वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28 / 01 / 2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द